दीर्घकालिक कार्रवाई की आवश्यकता

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-तारादत्त (सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा)

28 फरवरी, 2019

"पीएम-किसान और इसी तरह की योजनाएं टिकाऊ कृषि क्षेत्र में सुधार और पूरक विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के बिना लाभ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं।"

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 6,000 रुपये सालाना की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो दो हेक्टेयर कृषि भूमि के मालिक हर किसान को तीन समान किश्तों में देय है। इससे पहले तेलंगाना ने भी पीएम-किसान योजना के समान ही अपनी रायथु बंधु योजना के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार लाने का बीड़ा उठाया था, जिसमें किसान-मालिकों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 8,000 रुपये दिए जाते थे। इसके अलावा, ओडिशा ने भी आजीविका और आय संवर्धन या कालिया योजना के माध्यम से पैकेज (प्रति परिवार 10,000-12,500 वार्षिक सहायता) को विस्तृत करते हुए बँटाईदार और भूमिहीन किसान परिवारों को सहायता देने के लिए कदम बढ़ाया था।

लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से, कोई भी सत्तारूढ़ दल, कृषक समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को जड़ से समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया है।

खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अपरिहार्य शर्त है और अधिकांश विकसित और यहां तक कि कुछ विकासशील देशों में दी जा रही भारी भरकम कृषि सब्सिडी का कारण भी है। इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती कि हमारे किसान बेहतर सौदे के लायक हैं। सफल सरकारों ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई, सब्सिडी वाले कृषि इनपुट में बड़े निवेश किए हैं और विपणन योग्य अधिशेषों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहायता प्रदान की है।

स्वतंत्रता के समय, भारत ने लगभग 350 मिलियन की आबादी के लिए मात्र 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था, जिसके कारण भारत को विदेशी खाद्य सहायता का सहारा लेना पड़ा था। सात दशकों के बाद, जनसंख्या लगभग चार गुना बढ़ने के बावजूद, देश में खाद्यान्न-अधिशेष है, जिसके उत्पादन में छह गुना की वृद्धि हुई है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि क्षेत्र अतीत की तुलना में आज अधिक तनाव में है। जहाँ एक तरफ मीडिया कवरेज बढ़ने के कारण संकट की दृश्यता निश्चित रूप से अधिक दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है,जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव के नजदीक आते ही केवल राहत पैकेज की घोषणा करके खुद को इस समस्या से दूर कर लेने का मौका मिल जाता है। टिकाऊ कृषि क्षेत्र में सुधार और पूरक विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के बिना स्थिति, वास्तव में बिगड़ सकती है। भले ही सरकारों का इरादा नेक हो, लेकिन उनके तथाकथित वित्तीय सहायता पैकेज दीर्घकालिक रूप में लाभ की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

देखा जाये, तो पूर्वी भारत में हालात और बदतर इसलिए हो गये हैं क्योंकि यहाँ ऐसे कानून हैं, जो बँटाईदारी को गैर-कानूनी प्रतिपादित करते हैं। चूंकि इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे बना कर प्रतिरक्षित कर दिया गया है, इसलिए राज्य की एजेंसियां आम तौर पर शेयर-क्रॉपिंग या बँटाईदारी डेटा को संग्रह करने से कतराती हैं क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर प्रसार अनुपस्थित जमींदारों के रूप में मालिकों को बेनकाब करेगा।

इस कानूनी वास्तुकला को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि ओडिशा ने कालिया (KALIA) को कैसे लागू किया है, जहाँ आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अवैध संस्थाओं को शेयर-क्रॉपर्स कहा जाता है, जो राज्य सब्सिडी के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम पंचायतों को शामिल करने से योजना का राजनीतिकरण हो सकता है और भ्रष्ट प्रथाओं का विकेंद्रीकरण हो सकता है।

वित्तीय सहायता पैकेजों का कार्यान्वयन भूमि रिकॉर्ड द्वारा जटिल है, जिनके अपडेशन को ज्यादातर राज्यों में प्राथमिकता नहीं

दी गई है। अनुपस्थित जमींदारों के पास दो विकल्प हैं। पहला, बँटाईदारी को त्याग देना, ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय सहायता को सक्षम करने के लिए किरायेदारों के डेटा रिकॉर्ड का निर्माण स्वामित्व की उनकी वैधता को कमजोर कर सकता है।

इसके बाद, यह शेयर-क्रॉपर्स के लिए दोहरा खतरा बन सकता है, जो पहले से ही अपने जमींदारों की दया पर आश्रित है। दूसरा, वे अपने लिए वित्तीय सहायता का दावा कर सकते हैं, जो शेयर-क्रॉपर्स से उनके रिटर्न से भी अधिक हो सकता है। तटीय ओडिशा में, कम उत्पादकता और महंगे श्रम के कारण वर्तमान में लाखों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि परती है। भूमि परती छोड़ने का प्रोत्साहन अब इससे बढ़ सकता है।

सत्तारूढ़ दल भी कृषि ऋण माफी और एमएसपी की बढ़ोत्तरी की घोषणा करते रहे हैं। लगभग तीन-चौथाई फसली ऋण सहकारी बैंकों द्वारा बढ़ाया गया है, जिसका गुजरात और महाराष्ट्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन अधिकांश अन्य राज्यों में, वर्षा आधारित कृषि ने शायद ही सहकारी या वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान आकर्षित किया हो। कई मामलों में, कृषि ऋण कागजी लेन-देन होता है, जिसमें निर्वाह करने वाले किसान भी खुद पर बकाया देय राशि से अनजान होते हैं। कर्ज माफी की कवायद मोटे तौर पर अवांछनीय व्यक्तियों या संस्थाओं को लुभाती है।

पूर्वी राज्यों में तनावग्रस्त किसानों के बीच आत्महत्या की कम घटना, शायद संस्थागत ऋण के लिए उनकी गैर-पात्रता के कारण भी हो सकती है, जिसके कारण ये मुख्य रूप से स्थानीय धन-उधारदाताओं पर निर्भर होते जा रहे हैं। संसाधन-गरीब किसान आम तौर पर बेजुबान और विरोध करने में असमर्थ होते हैं। जैसा कि एमएसपी का सवाल है, उनके पास न केवल कानूनी आधार की कमी है, बल्कि उनके पास फसलों की भी सीमित श्रेणी है। किसान आत्महत्या, आवश्यक रूप से उन फसलों के लिए भरोसेमंद नहीं है जिनके लिए एमएसपी मौजूद है। इसके अलावा,मौसमी फलों और सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को भी नुकसान होता है, जब भी बंपर फसल होती है और उनके लिए कोई एमएसपी सुरक्षा नहीं होती है।

वित्तीय सहायता या ऋण छूट अस्थायी रूप से मदद कर सकती है। दीर्घकालिक राहत के लिए कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए सिंचाई जीवन रेखा है। जबकि सिंचाई क्षमता बनाने की लागत प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपये से अधिक है, जहाँ किसानों से मामूली शुल्क वसूला जाता है।

इसके अलावा, पानी के उपयोग की दक्षता पर बहुत कम जोर दिया गया है; मृदा की गुणवत्ता की लवणता-प्रेरित गिरावट और भूजल के संदूषण की रिपोर्ट अधिक हैं। कई सिंचाई परियोजनाएं अपूर्णता में अपूर्ण हैं। पिछले 20 वर्षों में निवेश के तीसरे पक्ष के ऑडिट और सत्यापन से इस अंतर को आसानी से उजागर किया जा सकता है।

वाणिज्यिक मांग के रुझान के आधार पर विभिन्न कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना महत्वपूर्ण है। किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक और मानकीकरण के पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और बिचौलियों का सफाया किया जाना चाहिए, जो बहुत ही कम कीमतों पर उनकी खराब उपज को खरीदते हैं। संविधान के तहत कृषि एक राज्य का विषय है।

किसानों की समस्याओं को भी सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान रूप से नहीं देखा जा सकता है। पंजाब में धान उतनी ही नकदी फसल है, जितनी कपास महाराष्ट्र में है और दोनों ने इन फसलों के लिए आवश्यक भंडारण और निपटान बुनियादी ढांचे का विकास किया है। ओडिशा जैसे राज्य अपने किसानों के लिए ऐसे सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में विफल रहे हैं, जो एमएसपी में वृद्धि से भी शायद ही कभी लाभान्वित होते हैं।

राहत पैकेज प्रदान करने के क्रम में, किसानों के दीर्घकालिक हितों की सेवा के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समयबद्ध प्रयास भी किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से काम करना चाहिए, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेश करके और निजी क्षेत्र को कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के लिए प्रसंस्करण इकाईयां लगाने की आवश्यकता है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और शेयर-क्रॉपिंग को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों दोनों को वास्तविक किसान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के हित में कृषि की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं के बीच अंतर रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।
- लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 को की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक की तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी, 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ लेने का पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाएगी तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित करेगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद् के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Committed To E

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. यह योजना 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई।
   2. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 600 रुपये दिए जाएंगे। जो दो किस्तों में दी जायेगी।
   3. इस योजना के कारण किसान व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल बच पायेंगे तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित होगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 1 और 3
   (c) 1, 2 और 3
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. **Consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana-**

   1. This scheme has been started by the prime Minister in Gorakhpur on 24 January, 2019.
   2. Under this scheme, the small and marginal farmer families having joint holding/ownership upto 2 hectare will be given Rs. 600 per year which will be provided in two installments.
   3. Through this scheme farmers will be saved from the clutches of money lenders and their regularity in agricultural activities will also be ensured

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2
   (b) 1 and 3
   (c) 1, 2 and 3
   (d) None of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषि क्षेत्र में एक तात्कालिक प्रभावी कदम है जबकि कृषक समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। व्याख्या कीजिए।

Q. Recently in discussion, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana is an immediate effective step in agriculture sector whereas there is a necessity of widespread reform and strong steps to be taken to end the problems before agricultural community. Describe.

(250 Words)

नोट : 27 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।